


अध्यक्ष के
स्थायी आदेश



विषय-सूची

क्रमांक

विषय

पृष्ठ

अध्याय-एक

सभा के समक्ष कार्य का क्रम.

1. सभा के समक्ष कार्य के विभिन्न वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता. 1

अध्याय-दो

शलाका.

(क) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की शलाका. 3
3. शलाका का परिणाम. 3
4. शलाका के पश्चात् पुरःस्थापित विधेयकों पर कार्यवाही. 3
5. शलाका की सूचना. 3

(ख) संविहित संकल्प.

6. संविहित संकल्प 3

अध्याय-तीन

प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न.

(क) प्रश्न

7. प्रत्येक सत्र में सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं दिए जाने के दिनांक 4
8. प्रश्नोत्तर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रश्नों की सापेक्ष 4
पूर्ववर्तिता निर्धारित करने संबंधी प्रक्रिया.
9. अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि में परिवर्तन. 4
10. प्रश्न पूछने के अंतिम चक्र में शेष प्रश्नों को सम्मिलित किये जाने 4
की प्रक्रिया.

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
11.	सदस्यों द्वारा प्रथम दिन दिये गये प्रश्नों की सूचनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निर्धारित करने संबंधी प्रक्रिया.	5
12.	एक ही विषय पर अनेक सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना.	5
13.	तारांकित प्रश्नों का प्रश्नोत्तर सूची में चक्रों में रखा जाना.	5
14.	कार्यवाहियों में प्रश्नों का मुद्रण	6
15.	किसी दिन की तारांकित प्रश्न-सूची में आने वाले एक ही विषय के प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया जाना.	6
16.	किसी अधिकारी के विरुद्ध हो रही जांच के बारे में सदन को सूचना देने की प्रक्रिया.	6
17.	अनुपूरक प्रश्न.	7
18.	प्रश्नों के क्रमांक तथा उत्तर दिये जाने के दिनांक निर्धारित किया जाना.	8
19.	प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित पूर्ण प्रश्न होने के पश्चात् शेष समय में सभा का अन्य कार्य लिया जाना.	8
19-क	प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय.	9

(ख) मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तरों या वक्तव्यों का सुधारना.

20.	सदन के भीतर मंत्रियों द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तरों या वक्तव्यों को सुधारने के लिए प्रक्रिया.	9
-----	---	---

(ग) अल्प सूचना प्रश्न.

21.	संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति में अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर देना.	11
-----	--	----

अध्याय-चार

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, नियम 267-क, नियम 139 तथा नियम 142-क के अधीन सूचनाएं एवं विशेषाधिकार के प्रश्न.

22.	स्थगन/ध्यान आकर्षण एवं नियम 267-क, की सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया.	12
-----	---	----

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
22-क.	विशेषाधिकार के प्रश्न की अग्राह्यता की जानकारी संबंधित को दी जाना.	15

अध्याय-पांच
विधान.

(क) विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन.

23.	सरकारी विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना.	16
24.	विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव का कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना.	16

(ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक.

25.	उन सदस्यों के नामों का एक साथ रखा जाना जिन्होंने एक से गैर सरकारी विधेयकों की सूचनाएं दी हों.	16
26.	विधेयकों के पुरःस्थापन के लिये प्राधिकार का दिया जाना.	17
27.	पुरःस्थापन के बाद विधेयक को आगे चलाने के लिये दूसरे सदस्य को प्राधिकार का दिया जाना.	17

(ग) विधेयकों को शुद्ध करने की प्रक्रिया.

28.	विधेयकों को विभिन्न प्रक्रमों में शुद्ध करने की प्रक्रिया.	17
-----	--	----

(घ) अन्तरावधि में प्राप्त विधेयक की सूचना.

29.	अन्तरावधि में प्राप्त विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्तावों के अतिरिक्त विधेयकों के संबंध में अन्य प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में कार्रवाई.	18
-----	---	----

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
---------	------	-------

(ड) विनियोग विधेयक.

30.	विनियोग विधेयक संबंधी प्रक्रिया.	18
-----	----------------------------------	----

(च) विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना.

30-क.	अनुमोदन के पश्चात् विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना.	19
-------	---	----

अध्याय-छः

याचिकाएं.

31.	नियम 106 के अधीन प्राप्त याचिकाओं का साधारण रूप	20
32.	दोषपूर्ण याचिकाओं का वापस लिया जाना.	20
33.	याचिकाओं की ग्राह्यता के आधार.	21

अध्याय-सात

सभा समितियां.

(क) सभा समितियों पर लागू होने वाले सामान्य निर्देश.

34.	समिति में सभा समिति सम्मिलित होना.	22
35.	सभा समितियों पर सामान्य निर्देश का लागू होना.	22
36.	समिति की बैठक में प्रक्रिया.	22
37.	सभापति द्वारा मतदान के लिए प्रश्न रखा जाना.	22
38.	किसी प्रश्न पर पुनर्विचार के इच्छुक सदस्य द्वारा सभापति की अनुज्ञा लेना.	22
39.	समिति की कार्यवाही गोपनीय समझी जाना.	23
40.	उप समिति की नियुक्ति.	23
41.	साक्षियों का परीक्षण	23
42.	साक्षियों का साक्ष्य सार्वजनिक समझा जाना.	24

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
43.	साक्ष्य के दौरान पालनीय नियम.	24
44.	समिति के समक्ष सरकारी अधिकारियों की साक्ष्य.	24
45.	साक्षियों द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर विचार.	25
46.	साक्षियों से प्रश्नों का पूछा जाना.	25
47.	समिति के विचाराधीन विषयों के बारे में संदेश सचिव के नाम भेजे जाना.	25
48.	समिति के समय प्रस्तुत किए दस्तावेजों में से असंसदीय शब्दों, वाक्यांश या अभिव्यक्तियों का निकाला जाना.	25
49.	शब्दशः कार्यवाही	26
50.	बैठकों की कार्यवाही का सारांश.	26
51.	समिति के प्रतिवेदन	26
52.	प्रतिवेदन में साक्ष्य का उल्लेख.	27
53.	नियम 197 के अधीन समिति के प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना.	27
54.	समिति/उप समिति के सभापति को प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष गलतियों अथवा तथ्य संबंधी विषयों को सुधार सकने की शक्ति.	28
55.	प्रतिवेदन का मुद्रण तथा परिचालन.	28
56.	समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही.	28
57.	वित्तीय समितियों के सभापति या सदस्यों की सरकारी समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति.	29
58.	सरकारी समिति के सदस्यों की वित्तीय समितियों के सभापति या सदस्यों के रूप में नियुक्ति.	29

(ख) विधेयकों संबंधी प्रवर समितियां.

59.	प्रवर समितियों को भेजे गए ज्ञापन/अभ्यावेदन.	30
60.	विधेयक पर सामान्य चर्चा नहीं होगी.	30
61.	प्रवर समिति की बैठक में संशोधन प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया.	30
62.	विधेयक पर खण्डशः चर्चा.	30
63.	प्रवर समिति के काम में प्रगति की सूचना अध्यक्ष को देना.	31

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
64.	प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाना.	31
65.	विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत करना.	31
66.	विधेयकों संबंधी याचिकाएं, विधेयक संबंधी प्रवर समितियों को निर्दिष्ट समझी जाना.	31
67.	याचिकाओं इत्यादि पर की गई कार्यवाही को प्रवर समिति के प्रतिवेदन में दर्शाया जाना.	31
68.	प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रतिरूप.	32
69.	प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विमति टिप्पण.	32
70.	बिना तिथि का विमति टिप्पण.	32
71.	समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्य का विमति टिप्पण.	32
72.	प्रतिवेदन पर विचार हो जाने तथा उसके स्वीकार हो जाने के पश्चात् सदस्य द्वारा विमति टिप्पण दिया जाना.	32
73.	प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का मुद्रण.	32
(ग) याचिका समिति.		
74.	याचिका समिति.	33
75.	याचिकाओं के रूप में अग्राह्य अभ्यावेदनों पर विचार किया जाना.	33
76.	प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद याचिकाकार को सूचित किया जाना.	34
(घ) प्राक्कलन समिति.		
77.	विभागों के अनुमानों के परीक्षण के संबंध में प्रक्रिया.	34
78.	समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कार्यान्विति.	38
(ङ) प्रत्यायुक्त विधान.		
79.	समिति का क्षेत्र	39
80.	विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा सामग्री का दिया जाना.	39

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
81.	आदेशों का परीक्षण	39
82.	आदेश के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विभाग द्वारा आदेश से संबंधित साहित्य का प्रदाय.	40
83.	परीक्षण की प्रक्रिया.	40
84.	ज्ञापनों का परिचालन.	41
85.	प्रतिवेदन के साथ अन्य दस्तावेजों का उपस्थापन.	41
86.	समिति की सिफारिश.	41
87.	आश्वासन का कार्यान्वयन.	42

(च) सरकार द्वारा गठित समितियां तथा अन्य निकाय जिनमें विधान सभा का प्रतिनिधित्व होता है.

88.	समिति तथा अन्य निकायों के लिये निर्वाचन जिनमें विधान सभा का प्रतिनिधित्व होता है.	42
-----	---	----

अध्याय-आठ

विधान सभा के स्थानों का त्याग और रिक्ति

89.	सदन के स्थानों का त्याग.	43
-----	--------------------------	----

अध्याय-नौ

सामान्य

(क) उस सदस्य की सूचनाओं के बारे में कार्यवाही जो बाद में मंत्री नियुक्त हो जाये.

90.	उस सदस्यों की सूचनाओं के बारे में कार्यवाही जो बाद में मंत्री नियुक्त हो जाये.	44
91.	कुछ प्रकार की सूचनाएं दिये जाने के लिए समय-सीमा.	44

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
---------	------	-------

(ख) विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता.

- | | | |
|-----|--|----|
| 92. | विधायक दल/विधायक समूह को मान्यता देने के लिये प्रक्रिया. | 44 |
|-----|--|----|

(ग) सभा भवन का परिसर.

- | | | |
|-----|---|----|
| 93. | सभा भवन का परिसर. | 45 |
| 94. | सुरक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व | 45 |
| 95. | विधान सभा के समिति कक्ष का उपयोग. | 47 |
| 96. | विधान सभा परिसर में सचिव के आदेश से प्रवेश-पत्र जारी किया जाना. | 47 |
| 97. | परिसर में प्रवेश-पत्र धारक की तलाशी. | 47 |

(घ) विभाजन द्वारा मतदान

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| 98. | विभाजन द्वारा मतदान की प्रक्रिया. | 48 |
|-----|-----------------------------------|----|

(ङ) मंत्री अथवा सदस्यों के वक्तव्यों में गलती या अयथार्थता बतलाना.

- | | | |
|-----|---|----|
| 99. | मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में कोई गलती या अयथार्थता बतलाने के लिये प्रक्रिया. | 49 |
|-----|---|----|

(च) पत्रों का पटल पर रखा जाना.

- | | | |
|------|--|----|
| 100. | कार्यसूची में प्रविष्टि | 49 |
| 101. | गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पत्रों का पटल पर रखा जाना. | 50 |
| 102. | गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पत्र पटल पर रखने की प्रक्रिया. | 50 |

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
---------	------	-------

अध्याय-दस

एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचन.

103-119.	एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचनों में मतदान तथा गणना.	51-58
----------	--	-------

अध्याय-ग्यारह

छत्तीसगढ़ विधान सभा की विभिन्न दीर्घाओं में दर्शकों का प्रवेश विनियमित करने हेतु विनियम.

120.	दीर्घाओं के प्रकार.	59
121-125.	अध्यक्षीय दीर्घा.	59-60
126-132.	सामान्य दर्शक दीर्घा.	60-61
133-135.	अधिकारी दीर्घा.	61
136-140.	पत्रकार दीर्घा.	61-65
141-163.	सामान्य.	65-68
	विधान सभा समितियों के दौरे के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांत.	68-71
	परिशिष्ट-1	72
	परिशिष्ट-2	73
	परिशिष्ट-3	74
	परिशिष्ट-4	75
	परिशिष्ट-5	76
	परिशिष्ट-6	77-78
	परिशिष्ट-7	79